

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिस्त्रमा

नई दिल्ली, 29 जन, 1982

सा०का० ति० 476(अ).~- खाद्य प्रपमिश्रण निवारण निगम, 1955 का ग्रौर संक्षाभन करने के लिए कनिपथ प्रारूप नियमों खाद्य अपमिश्रण निवारण प्राधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा ग्रपेक्षित भारन सरकार के स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्पाण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की ग्राधिसूचना सं० सा०का ०ति० 469(घ) नारीख 3 ग्रगस्न, खट 3, उपखंड (i) तारीख 3 ग्रगस्न, 1981 के पुष्ठ 14.19-1450 पर प्रकाणित किया गथा था जिसमें उस राजपत्न की प्रतियां, जिसमें उक्त ग्राधेसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा देने की नारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पूर्व उस सभी व्यक्तियों से ग्राक्षेप ग्रीर सम्राव माए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

ग्रीर उकन राजपत की प्रतिशां अग्रगस्त, 1981को जनता को उपलब्ध थी;

ग्रौर केन्द्रीय मरकार ने उक्त प्रारुप नियमों की अध्यत प्राक्षेपों मौर सुझावों पर वित्तार कर लिया है ;

भन केन्द्रीय सरफार, उक्त अधिनिय की तरा की विषयेरत (1) द्वारा प्रदन्त णक्तियों का प्रयोग के की किन्द्र खार मानक विभिन्न से परामक करने के पण्चान खार्म किम्ब्रिय प्रमान किन्द्र किन्द्र का मोर सजाधन करने के निर्ण किन्द्र नियम बेनानी कि येपनि

389 GI/82

 (1) 2-न निपमो का सक्षिष्त नाम खाद्य भ्रापमिश्रण नित्रारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाणन की मारीख को प्रवृत्त होंगे।

 खाद्य भपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 के प्रथम परन्तुक के पश्चान निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ा आएगा, अर्थात : ---

"परन्तु यह श्रौर कि खड़ (झ) से सर्वधित उन माम्नालिक खादा बस्तुश्रों को, जिनके लेवल नियम 37 क के उपबन्धों के झधीन झनु-मोविस किए जाते हैं, इस नियम के प्रवर्तन से छट वी जाएगी।"

> [सं० पी॰ । 50 । 4/9/81-पी एच (एफ एण्ड एन) पी ए एफ] भार०के० सिवल, संयक्ष, संयक्ष, संयक्ष

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Dehi, the 29th June, 1982

G.S.R. 476(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by Subsection (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954) with the notification of the Government of India in the Ministry

of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 469(E) dated 3rd August, 1981 at pages 1449 to 1450 of the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd August, 1981 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date on which the copies of the official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were available to the public on 3rd August 1981;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:---

RULES

J. (1) These Rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Fifth Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, after the first proviso, the following further proviso shall be added, namely:—

"Provided that proprietory food articles relating to clause (i), the labels of which are approved under the provisions of rule 37-A, shall be exempted from the operation of this rule."

[No. P. 15014/9/81-PH(F&N) PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.